Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में पटवारी 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, आरोपिया का पति दलाल मौके से फरार, तलाश जारी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 सितम्बर, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये रेखा वैष्णव पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में रेखा वैष्णव पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर एवं उसका पति सुभाष वैष्णव द्वारा द्वारा परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रेखा वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव निवासी ग्राम मोड़ीकलां, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर को परिवादी से **8 हजार रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपिया पटवारी का दलाल पति सुभाष वैष्णव एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपिया पटवारी एवं उसके दलाल पति द्वारा परिवादी से पूर्व में ही **15 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।